# कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मार्च २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

(i) कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए:

क) विविध-कार्य (गैर-तकनीकी) कर्मचारी परीक्षा, 2019
ख) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, (पेपर-I) 2019
ग) दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला कांन्सटेबल (कार्यपालक) परीक्षा, 2020
घ) आशुलिपिक ग्रेड 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2019
ड़) दिल्ली पुलिस तथा सीएपीएफ में उप-निरीक्षक परीक्षा (पेपर-I) 2020

इसके अलावा, आयोग ने निम्नलिखित परीक्षा संचालित की है :

(क) इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा (पेपर-II), 2019 तथा कनिष्ठ अभियंता (पेपर-II), 2020

(ii) सीसीएससीएसबी ने दिल्ली में दिनांक 24 मार्च, 2021 को अखिल भारतीय सर्वोत्तम शारीरिक गठन प्रतियोगित तथा 25 से 27 मार्च, 2021 तक अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

(iii) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण में एक न्यायिक सदस्य तथा दो प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की गई।

(iv) भारत के राजपत्र में केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 2021 प्रकाशित की गई।

(v) दिनांक 31.03.2021 के का.ज्ञा. सं. 12/4/2020-जेसीए के माध्यम से अखिल भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए डॉ. बी. आर अम्बेडर के जन्मदिवस के अवसर पर छुट्टी की घोषणा।

(vi) पीईएसबी, डीओपीटी ने 10 (दस) पदों [01 (एक) सीएमडी हेतु तथा 09 (नौ) निदेशकों] हेतु विज्ञापन जारी किए।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए :-

(i) प्रशासन तथा संसद सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों के बीच कार्यालयी पत्राचार – दिनांक 15.3.2021 के का.ज्ञा. सं. 11013/4/2018-स्था. (क.III) के माध्यम से उचित प्रक्रिया का पालन।

(ii) दिनांक 02.03.2021 के का.ज्ञा. सं. 2/10/2018-स्था.(वेतन-II) के माध्यम से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन संरचना के अनुसार दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) के माध्यम से जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी समेकित दिशा-निर्देश के पैरा 5 में संशोधन।

(iii) दिनांक 15.03.2021 के का.ज्ञा. सं. 2/11/2017-स्था.(वेतन-II) के माध्यम से 7वें सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में एनएफयू, एमएसीपी, एनएफएसजी आदि के आधार पर उन मामलों में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्तों को मंजूर करना, जहां मूल संवर्ग में मूल वेतन में उन्नयन किया गया है।